न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 58 / 2021 GCMS No 2021 / 44
दायरा तिथि : 02.08.2021
फैसला तिथि : 17-11-2021
प्रार्थी::–
श्री हजाराम मूलारामजी जाति मेघवाल
निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–
1. श्री कैलाश पारंगी ..... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली ..... पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 17-11-2021

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम धणी तहसील बाली में सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 619, 621 कुल खसरा–02 कुल रकबा 02 हैक्टर में दर्ज अपने नाम हरजी पुत्र मूला को त्रुटिपुर्ण बताते हुये अपना सही व वास्तविक नाम **हजाराम पुत्र मूलारामजी दुरस्ती** के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य फोतेदगी नामान्तरकरण संख्या 143 दिनां 22.5.1992, जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 की प्रति, जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 की प्रति, जमाबंदी संवत् 2060 से 2063 की प्रति, जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 की प्रति, जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की प्रति, जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की प्रति, जाति प्रमाण पत्र दिनांक 21.07.2014, मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 25.11.1988, टी.सी. दिनांक 12.05.1987, हजाराम का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भामाशाह रसीद की प्रतियॉ पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर खसरा नंबर 619, 621 कुल रकबा 2.03 हैक्टर में खातेदार मूलाराम फौत होने से हरजी भूराराम पिता मूलाराम जरिये नामान्तरकरण संख्या 143 से दर्ज होना बताया, इसके साथ ही रिपोर्ट में वर्णित किया कि गांव में मौजीज व्यक्तियों एवं सरपंच ग्राम पंचायत धणी को पूछने पर ज्ञात हुआ कि हरजी एवं हजाराम एक ही व्यक्ति हैं मृत मूलाराम के 2 पुत्र हजाराम एवं भूराराम हैं। अतः हरजी एवं हजाराम एक ही व्यक्ति होने एवं प्रार्थी का वास्तविक नाम हजाराम होने से खसरा नंबर 619, 621 में दर्ज हरजी के स्थान पर हजाराम किया जाना उचित हैं।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील प्रार्थी श्री कैलाश पारंगी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का **सही व वास्तविक नाम हजाराम पुत्र मूलाराम** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र की प्रति,मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, स्कूलिंग सर्टिफिकेट टी.सी.,आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, भामाशाह रसीद की प्रतियॉ पेश की गई। नामान्तरकरण सं. 143 दर्ज करते समय प्रार्थी वर्णित भूमि धणी के खसरा नंबर 619, 621 कुल रकबा 2.03 हैक्टर में बतौर सह खातेदार त्रुटिपुर्ण नाम **हरजी** दर्ज कर दिया हैं। तथा उक्त त्रुटि इसके पश्चात् बनी जमाबंदियो में लगातार चलती रही व वर्तमान जमाबंदी में भी त्रुटिपुर्ण नाम हरजी ही दर्ज है। जिससे प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार **सही व वास्तविक नाम हजाराम पुत्र मूलाराम** राजस्व रेकर्ड में भी नाम दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम धणी तहसील बाली में प्रार्थी के सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 619, 621 कुल खसरा–02 कुल रकबा 02 हैक्टर में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण नाम हरजी पुत्र मूला को **दुरस्ती** के माध्यम सही व वास्तविक नाम **हजाराम पुत्र मूलारामजी बतौर सह खातेदार हिस्सा अनुसार** दर्ज किये किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, धणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 17-11-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner